an>

Title: Regarding appointing of sufficient number of the judges to deal with pending cases.

श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर): महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इलाहाबाद जनपद के फूलपुर लोक सभा क्षेत्र में एशिया का जो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय स्थित है, उस ओर ध्यान दिलाते हुए देश की न्याय व्यवस्था की ओर ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूँ।

महोदया, मुकद्मों के निस्तारण को लेकर के देश के सामने बड़ी समस्या है। मैं श्री राम जन्मभूमि मुकद्मे का उल्लेख करना चाहूँगा। 14 जनवरी 1950 को यह मुकदमा दाखिल हुआ और 66 साल हो गए, अभी उस मुकदमे का निस्तारण नहीं हुआ, इस समय वह सर्वोच्च न्यायायलय के सामने विचाराधीन है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 160 न्यायाधीशों के पद सृजित हैं और आज की तारीख में लखनऊ पीठ को मिलाकर केवल 77 न्यायाधीश ही वहाँ पर हैं। 13 मार्च को इस न्यायालय के स्थापित होने के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री महोदय, देश के मुख्य न्यायाधीश सहित अनेक बड़े लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूँ कि इस देश के अंदर न्यायालयों में जो रिक्त पद हैं, उन पदों पर जब तक नियुक्ति नहीं की जाएगी, मेरे इलाहाबाद में अनेक ऐसे मुकदमे होते हैं कि कोई जिला न्यायालय से दाखिल करता है, वहाँ उसको सज़ा हो जाती है। 1986 और 1987 में जिन मुकदमों में अपील की गई है, अभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकी और वे मरने के कगार पर पहुँच गए हैं जेल में बंदी रहते रहते। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि न्यायालयों में जो न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं, उनको शीघ्र भरा जाए और समय से लोगों को न्याय मिल सके और रामजन्मभूमि मामले का भी शीघ्र से शीघ्र निस्तारण हो, यह मैं मांग करता हूँ।

HON. SPEAKER:

Shri Sharad Tripathi,

Shri Bhairon Prasad Mishra,

Kunwar Pushpendra Singh Chandel and

Shri Chandra Prakash Joshi are permitted to associate with the issue raised by Shri Keshav Prasad Maurya.